न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—58 / 2016 (2016 / 00172) वाद पत्र

उनवान

1—नारायण आत्मज भैरा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—बदामी पत्नि रामा पुत्री गोकल जाट तथाकथित गेलड़ पुत्री भैरा जाट निवासी कुवांरिया तहसील रेलगंगरा जिला राजसंमद

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होता है। हिन्दु परिवार के सदस्य होकर मूल पुरुष नोलाजी थे, जिनके 2 पुत्र भैरा व उदा हुए, जिसमें उदा लाऔलाद फोत हो गया, भैराजी के वादी व उनकी पत्नि चांन्दी बाई 2 वारीस थे, जिसमें से चान्दी बाई का स्वर्गवास हो गया अब केवल नोलाजी के वंश में तन्हा वादी वारीस रहा है। मृतक भैरा के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 942 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 943 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा ग्राम कोट तहसील रायपुर में स्थित है। भैराजी की मृत्यु उपरान्त इन आराजियात का नामान्तकरण वादी एवं माता चान्दी के नाम फैसल हो गया और दोनो का इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। चान्दी की मृत्यु के समय उसका भी एक मात्र वारीस वादी ही बचा परन्तु राजस्व अभियान में नामान्तकरण वह गैर कानूनी तरीके से नारायण आत्मज भैरा व बदामी पुत्री भैरा के नाम फैसल कर दिया जो गलत है। चान्दी मुलतः ग्राम सिंहपुरा तहसील रायपुर निवासी गोकल आत्मज सोला जी जाट विवाहिता पत्नि थी और बदामी गोकल आत्मज सोला जाट की ही पुत्री थी जब उसकी उम्र 2 वर्ष की थी तब चान्दी के पिता भैरा ने नाता विवाह कर लिया और बाद में भैरा व चान्दी के नुत्फे से वादी का जन्म हुआ। इस प्रकार बदामी भैरा जी की गेलड़ लड़की नही होकर असली पिता गोकल आत्मज सोला जाट था इसलिये मृतक भैरा की सम्पतियो में उसका कोई अधिकार नही बनता जबकि राजस्व विभाग ने चान्दी की मत्यु के उपरान्त फैसल किये गये नामान्तकरण में अपना नाम जुड़वा लिया और वह भी गैर कानूनी तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया। मृतक [illegible] के वंश की बदामी पुत्री नही है। भूमि पर उसका कोई कब्जा नही है। [illegible] उम्र 70 [illegible] कर अपने सुसराल कुवांरिया रह रही है। गलत तरीके से राजस्व खाते में नाम दर्ज हो [illegible] जिसको हटवाने एवं सम्पूर्ण खाते में वादी तन्हा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। ग्राम कोट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

तहसील रायपुर का नवीन भूप्रबन्ध होने से साबिक आराजी संख्या 942 के नवीन नम्बर आराजी संख्या 2214 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2215 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 943 के नवीन नम्बर 2216 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2217 रकबा 1.33 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 है0 कायम किये गये जो जमाबन्दी में दर्ज है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम कोट की उक्त वर्णित नवीन आराजी संख्या आराजी संख्या 2214 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2215 रकबा 0.26 है0, नवीन नम्बर 2216 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2217 रकबा 1.33 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात को प्रतिवादी संख्या 1 किसी अन्य को विक्रय, रहन, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखंलदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 फॉरमल पक्षकार है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में हंसराज पिता किशना जाट निवासी कोट व स्वयं वादी के बयान कराये गये जिसमें भैरा का एकमात्र वारीस वादी ही होना बताया गया है। वाद के समर्थन में वादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत रेकार्ड जमाबन्दी 2051 से 2054 प्रस्तुत की जो प्रदर्श 1 है। चान्दी की विरासत का नामान्तकरण संख्या 868 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श 2 है। मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत किया जो प्रदर्श 3 है। सवंत 2070 से 2073 की जमाबन्दी प्रस्तुत की जो प्रदर्श 4 है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि मूल पुरूष नोला की होना बताते हुए नोला के 2 पुत्र भैरा व उदा हुए जिसमें उदा को लाऔलाद फोत होना अंकित किया गया है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में स्वयं के एवं स्वतंत्र गवाह के रूप में हसरांज पिता किशना जाट के बयान कराये गये है जिसमें हंसराज के द्वारा अपने बयान में अकिंत किया कि वादवर्णित भूमि पर वादी का ही कब्जा है। बदामी का इस भूमि पर कोई कब्जा नही है। चान्दी [illegible] से सिंहपुरा गांव के गोकल जाट की पत्नि थी और गोकल के नुत्फे [illegible] 2 साल की थी तब वादी नारायण का पिता गोकल की पत्नि चान्दी को [illegible] उस समय बदामी भी साथ आयी बदामी भैरा की जायन्दा पुत्री नही है [illegible] होकर अपने ससुराल कुवांरिया में रह रही है। चान्दी की विरासत में बदामी का नाम अंकित कर दिया जबकि वादवर्णित भूमि भैरा की है और बदामी भैरा की पुत्री नही है। किसी खातेदार के फोत होने पर उसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

विरासत उसके विधिक वारीस पुत्र, पुत्री व पत्नि का नाम विरासत स्वीकृत की जाती है। इस प्रकरण में भैरा की विरासत उसके पुत्र नारायण एवं उसकी पत्नि चान्दी के नाम हुई जिसके अनुसार भूमि नारायण एवं चान्दी के नाम दर्ज रेकार्ड है जो प्रदर्श 1 है। अगर प्रतिवादी 1 भैरा की पुत्री होती तो निश्चित रूप से भैरा की विरासत में उसका नाम दर्ज होता किन्तु भैरा की विरासत में इसका नाम दर्ज नही हुआ जिससे भूमि वादी नारायण एवं माता चान्दी के नाम दर्ज हुई। चान्दी के फोत होने पर उसकी विरासत के दौरान नारायण पिता भैरा एवं बदामी पिता भैरा के नाम पर दर्ज कर दी गई जबकि वाद एवं स्वतंत्र गवाह के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम भैरा नही होकर गोकल जाट निवासी सिंहपुरा की पुत्री होना अकिंत किया गया।

उपरोक्त विवरण अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट में स्थित आराजी संख्या 2214 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2215 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 943 के नवीन नम्बर 2216 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2217 रकबा 1.33 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। इसी के साथ बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादवर्णित भूमि में वादी को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न करावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–58 / 2016 (2016 / 00172) वाद पत्र

उनवान

1–नारायण आत्मज भैरा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–बदामी पत्नि रामा पुत्री गोकल जाट तथाकथित गेलड़ पुत्री भैरा जाट निवासी कुवांरिया तहसील रेलगंगरा जिला राजसंमद

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट में स्थित आराजी संख्या 2214 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 2215 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 943 के नवीन नम्बर 2216 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2217 रकबा 1.33 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.94 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे। इसी के साथ बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादवर्णित भूमि में वादी को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न करावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/03/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.07 12:54:12 IST
Reason: SelfAttested